

5-774

R-2310-I/12

समस्त न्यायालय न्यायाधीश

गवालियर

श्रीमति रेखाबाई पति नत्थूजी किन्नकर, जाति पवार,  
निवासी ग्राम तिवनी, तहसील पांढरगा, जिला हिंगुवाड़ा

----- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

ईश्वरचन्द्र पिता मूलचन्द्र, बनिया, काश्तकार,  
निवासी ग्राम तिवनी, तहसील पांढरगा, जिला  
हिंगुवाड़ा, म०प्र०

----- उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण, अंतर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959

क्रमांक 1948  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त  
16-7-12


पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

53

प्रकरण क्रमांक. R-310-I/2012..... जिला खिंदवाड़ा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>16-12-14 जबलपुर कैम्प</p>	<p>आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरोक्त अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक पांडुरंग जिला खिंदवाड़ा द्वारा दिनांक 26-5-12 को की जा रही सीमांकन कार्यवाही से दुरिक्त होकर प्रस्तुत की है जिसकी सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही सीमांकन कार्यवाही में नक्शे के आधार पर की जा रही है, जो उचित है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही सीमांकन कार्यवाही में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्रगण्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">                       प्रशासकीय सहायक                 </p>	